विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/2021

श्री रमेश चौहान पिता गोवर्धनलाल चौहान, — आवेदक/अपीलार्थी
136 — करमदी रोड़,
रतलाम (म0प्र0) पिन कोड— 457001

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, — अनावेदक/प्रति—अपीलार्थी
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
रतलाम (म.प्र.) — 457001

आदेश

(दिनांक 15.03.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री रमेश चौहान पिता गोवर्धनलाल चौहान, 136 — करमदी रोड़, रतलाम (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 25.03.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक WO459920 दिनांक 31.12.2020 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 16.06.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00—02/2021 पर दर्ज की गई है । आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैं ।

02. परिवादी द्वारा विद्युत फोरम के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में यह लेख किया गया कि उनका विद्युत कनेक्शन क्रमांक 6490582000 है । सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 27.07.2019 को ऑडिट 141 का पत्र देकर पूरक बिल दिया गया था जब कि प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई राशि देय नहीं थी जो पूरक बिल दिया वह रू. 88559/— का दिया गया । प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को जो दैनिक खपत का बिल आ रहा है उसमें अवैध धनराशि वसूल करने के लिए राशि जोड़ दी और बार—बार विद्युत कनेक्शन काटे जाने की धौंस बिल में लिखकर दी जा रही है ।

03. परिवादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया था कि उसके द्वारा नियमानुसार बिल की राशि का भुगतान किया गया है । उक्त बिल के संबंध में कोई ऑडिट रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट प्रतिअपीलार्थी को नहीं दी गई है । इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 02.08.2019 को सहायक यंत्री को पत्र भी दिया गया किन्तु उक्त पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करते हुए अगस्त 2019 के बिल में उक्त बकाया राशि जोड़ेत हुए बिल जारी कर दिया गया । दिनांक 25.10.2019 को अनावेदक द्वारा नवीन बिल जारी करते हुए 86,128/– रू. जमा करने संबंधी बिल एवं उक्त दिनांक को राशि जमा न करने पर 87,205/– रू. की राशि जमा कराने के लिए लिखा गया । उक्त राशि जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धौंस दी गई । परिवादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि उसका मीटर खराब नहीं था किन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त मीटर बदलने के 4 वर्ष पश्चात् बिना किसी सूचना के पूरक बिल बनाकर उसे भेजा गया, ऐसी दशा में उक्त बिल को समाप्त किया जावे ।

04. अनावेदक द्वारा परिवादी के परिवाद को अस्वीकार करते हुए अपने जवाबदावे में यह व्यक्त किया गया कि एच.टी.एम. संभाग, रतलाम द्वारा रिडिंग डाटा की जांच के आधार पर टीम द्वारा जांच के दौरान आवेदक के परिसर में स्थापित सी.टी. मीटर के बी फेज की सी.टी. ओपन होना पाई गई । एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.03.2016 से 13.04.2018 तक उक्त सी.टी. ओपन होने के कारण उस फेस की खपत दर्ज होना नहीं पाया गया । उक्त समय में 2 फेज पर दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर ओपन बी0फेज की खपत की गणना कर कार्यपालन यंत्री एच.टी.एम. संभाग रतलाम द्वारा पत्र क्रमांक 531 दिनांक 20.07.2019 के द्वारा 17436 यूनिट का बिल कर वसूली हेतु निर्देशित किया गया । उसी तारतम्य में सामान्य प्रचलित दर से सिंगल रेट राशि रू0 88559/– का अंतर राशि का देयक तैयार कर पत्र क्रमांक 141 दिनांक 27.07.2019 भेजा, उक्त राशि नियमानुसार है । आवेदक के वर्तमान देयकों का भुगतान लिया जा रहा है । आवेदक को किसी प्रकार की धौंस अथवा अनावश्यक मांग नहीं की जा रही है । जांच दल को निरीक्षण के दौरान बी फेज पर सी.टी. ओपन मिलने पर मीटर बदला गया है । जांच में बी फेज सी.टी. ओपन संबंधी अवधि की विस्तृत रिपोर्ट सहित एम.आर.आई. की प्रति आवेदक को पत्र क्रमांक 218 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से भेज दी गई है । जांच रिपोर्ट की प्रति उनके परिसर में उपस्थित श्री नीलेश चौहान द्वारा प्राप्त की गई है, जिस पर श्री नीलेश चौहान के प्राप्ति हस्ताक्षर है । बिल की राशि नियमानुसार प्रचलित टैरिफ में सिंगल रेट के आधार पर जारी की गई है । ऐसी दशा में परिवादी का परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है ।

05. अनावेदक द्वारा दिए गए जवाबदावें के प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि एम.आर. आई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.03.2016 से दिनांक 13.04.2018 तक सी.टी. ओपन होने के कारण खपत दर्ज न होने संबंधी कथन पूर्णतः असत्य है । मीटर हटाने के समय किसी प्रकार से कोई पंचनामा उनके समक्ष नहीं बनाया कया था । प्रार्थी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व पंचनामा के संबंध में जानकारी मांगी गई थी किन्तु उक्त पंचनामा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी दशा में परिवादी का परिवाद स्वीकार कर प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध उचित आदेश प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

06. आवेदक के प्रत्युत्तर के जवाब में अनावेदक द्वारा दिनांक 01.12.2020 को जवाब प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया कि एच.टी. संभाग रतलाम की टीम द्वारा जांच के दौरान आवेदक के परिसर में स्थापित सी.टी. ओपन होना पाई गई थी । एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.03.2016 से दिनांक 13.04.2018 तक उक्त सी.टी. ओपन होने के कारण वास्तविक खपत दर्ज नहीं होना पाई गई । उक्त अवधि में केवल 2 फेज आर एवं वाय पर ही दर्ज खपत मीटर द्वारा दर्ज की गई है, क्योंकि बी फेज की सी.टी0 ओपन थी इसी तारतम्य में खपत आधार पर ओपन बी फेज की गणना कर कार्यपालन यंत्री (एच.टी.एम.) संभाग रतलाम द्वारा पत्र क्रमांक 531 दिनांक 20.07.2019 के द्वारा 17436 यूनिट की बिलिंग कर वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया । प्रति अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार प्रचलित दर से सिंगल रेट पर पूरक देयक तैयार किया गया है । एच.टी.एम. द्वारा निर्धारित निरीक्षण परिपत्र बनाकर उपभोक्ता को उसी समय उपलब्ध करा दिया गया था । प्रति अपीलार्थी द्वारा आवेदक से किसी प्रकार की कोई धौंस व अनावश्यक मांग नहीं की जा रही है ।

07. उभयपक्षों के अभिवचनों एवं परिपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त विद्वान फोरम द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

08. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में परिवाद के दौरान उठाए गए तथ्यों को पुनः उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन में यह व्यक्त किया गया कि प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं थी एवं न ही किसी प्रकार की जांच विचाराधीन थी । स्वयं प्रार्थी द्वारा मीटर डिस्प्ले न आने की सूचना दी थी एवं इसी आधार पर अनावेदक क्रमांक – 01 एवं 02 द्वारा मीटर परिवर्तित किया गया था । मीटर परिवर्तित करते समय किसी प्रकार का कोई पंचनामा उक्त दिनांक को नहीं बनाया गया था । अनावेदक द्वारा अचानक दिनांक 27.07.2019 को प्रार्थी को पत्र देकर उक्त राशि की मांग की गई एवं इस संबंध में पूर्व की कोई जांच रिपोर्ट पंचनामा या सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई । उक्त पत्र के आने के तत्काल बाद प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2019 को सहायक यंत्री

अनावेदक क्रमांक – 02 को अभ्यावेदन दिया था किन्तु उक्त अभ्यावेदन का कोई निराकरण नहीं किया गया एवं दिनांक 19.10.2019 को लिखित में आपत्ति करने के बाद भी पूरक राशि जोड़ते हुए पैनल्टी सहित बिल लेने के साथ साथ कनेक्शन काटने की धौंस प्रार्थी को दी गई ।

09. प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि सी.टी. मीटर इलेक्ट्रानिक मीटर होकर कार्यालय स्तर से ही कम्प्यूटर पर ऑनलाईन मीटर रीडिंग होकर बिल जारी किया जाता था । मीटर के लोड आदि के संबंध में विभाग को सतत् जानकारी प्राप्त हो जाती है । यदि एक फेज नहीं जल रहा होता तो उसके उपर जानकारी तत्काल कार्यालय में हो जाती है किन्तु जान–बूझकर केवल फर्जी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उक्त राशि की वसूली व मांग की जा रही है वह अवैधानिक है ।

10. प्रार्थी द्वारा पूरक बिल के संबंध में अनावेदक क्रमांक – 02 का अधीक्षण यंत्री को दिया गया पत्र क्रमांक 259 दिनांक 22.11.2019 में यह बताया गया कि दिनांक 03.09.2016 से 13.04.2018 तक मीटर का एक फेज द्वारा खपत दर्ज नहीं की जा रही है, जो कि तकनीकी त्रुटिवश होना बताया । सतत् निरीक्षण के उपरान्त भी यह त्रुटि क्यों नहीं पकड़ी गई, जिसका एकजाही बिल इतनी अत्यधिक राशि का जारी किया गया जो त्रुटिपूर्ण है । निकाली गई राशि 88559 की बिलिंग की राशि में कोई भी पैनल्टी नहीं लगाई गई है जबकि अगस्त 2019 के बिलों से ही पैनल्टी लगाई जा रही है । प्रार्थी द्वारा अनेकों बार अभ्यावेदन करने एवं शिकायतों का निराकरण नहीं करने व बिल काटने की धौंस देने एवं अन्य धौंस देने के कारण पुनः अभ्यावेदन 11.03.2020 को माननीय फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया । आवेदक को कोई भी जानकारी नहीं दी गई एवं उपभोक्ता को तंग एवं परेशान करने का काम किया गया । प्रार्थी एक मध्यम, गरीब परिवार का होकर छोटा उद्योग आईस केण्डी प्लान्ट प्रारंभ किया । वह भी केवल सीजन के रूप में चलता था । उक्त अवैध राशि की मांग करने के कारण व्यवसाय को बन्द करना पड़ा । प्रार्थी दिनांक 21.08.2020 को राशि रू. 37,500/– जमा कराई थी वह तो जमा बताई है, किन्तु 28.11.2020 को राशि 9000/– जो जमा की है उसे जमा नहीं बताया गया । प्रार्थी द्वारा यह निवेदन है कि अवैध पूरक बिल दिनांक जो कि 27.07.2019 से जारी किया गया है निरस्त किया जावे एवं पैनल्टी जो जोड़ी गई है उसे वापस दिलाई जावें एवं मानसिक त्रास एवं क्षति धन दिलाया जावें । सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विवादित का निराकरण कर विवादित बिल की राशि मांग की जाकर पैनल्टी वापस कराई जाए।

अनावेदक का कथन :

11. अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक को विद्युत संयोजन क्रमांक 11–23–6490582000 प्रदाय किया गया । उक्त कनेक्शन की जांच कार्यपालन यंत्री एच.टी.एम. संभाग रतलाम द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि मीटर द्वारा एक फेज की खपत 09.03.2016 से 13.04.2018 तक बी फेज सी.टी. ओपन होने के कारण वास्तविक खपत दर्ज नहीं की जा रही थी । उक्त आधार पर मीटर के चालू फेज में दर्ज की गई खपत के आधार पर उक्त अवधि हेतु 17,436 यूनिट की बिलिंग किया जाना निर्धारित किया गया । उक्त यूनिट हेतु राशि रू. 88559/– की अंतर राशि का पूरक बिल तैयार कर आवेदक को पत्र क्रमांक 141 दिनांक 27.07.2019 के माध्यम से प्रेषित किया गया था । उक्त बिल में किसी प्रकार की पैनल्टी अथवा सरचार्ज सम्मिलित नहीं है । यह पूरक देयक सही होकर भुगतान योग्य है ।

12. आवेदक का यह कहना गलत है कि कोई निरीक्षण पत्र नहीं बनाया गया । आवेदक ने बताया कि दिनांक 13.04.2018 को सहायक यंत्री ए.टी.एम. संभाग द्वारा निरीक्षण पत्र बनाया गया था जिसमें बी फेज की सी.टी. ओपन होने संबंधी त्रुटि का उल्लेख है एवं उसे सुधार दिया गया था । आवेदक ने यह भी बताया है कि उपभोक्ता की मांग पर पत्र दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से एम.आर.आई. रिपोर्ट की छायाप्रति भी जिसमें एक फेज पर यूनिट गणना नहीं होने का विवरण है आवेदक को दी गई है जिसे परिसर में उपस्थित श्री नीलेश चौहान द्वारा प्राप्त किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया था । आवेदक द्वारा चाही गई समस्त जानकारी समय समय पर दी गई एवं मौखिक रूप से भी बताया गया । अनावेदक ने यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को किसी प्रकार की धौंस नहीं दी गई एवं सेवा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित आदेश/निर्णय अनुसार पूरक बिल राशि 88559/– में से आवेदक द्वारा राशि रू. 48000/– दिनांक 27.02.2021 को जमा की गई है, शेष राशि लंबित है ।

आवेदक द्वारा सुनवाई दिनांक 15.09.2021 को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 15.09.2021 में भी मूल प्रतिवेदन में दिए तथ्य ही है, उससे भिन्न और तथ्य नहीं प्रस्तुत किए गए ।

13. प्रकरण को क्रमांक एल.00–02/2021 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 17.08.2021 को नियत की गई।

प्रथम सुनवाई दिनांक 17.08.2021 को आवेदक की ओर से श्री नीलेश चौहान पुत्र श्री गोवर्धन चौहान तथा आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश अग्रवाल उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज दो प्रतियों में उपलब्ध कराए जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई । अनावेदक की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया गया । निर्देशित है कि अनावेदक को अगली सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए यथोचित रूप से सूचित किया जाए । प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 31.08.2021 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 31.08.2021 को आवेदक की ओर से स्वेच्छा से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार धाकड़, जूनियर इंजीनियर उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत पत्र दिनांक 31.08.2021 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया । अनावेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार धाकड़, जूनियर इंजीनियर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जाए ।

आवेदक को सूचित करते हुए उक्त प्रकरण में अन्तिम तर्क हेतु सुनवाई दिनांक 15.09.2021 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 15.09.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक के पुत्र श्री रमेश चौहान उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक प्रतिनिधि की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति आवेदक द्वारा अनावेदक को उपलब्ध करा दी जावेगी ।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी । अनावेदक को सूचित हो कि वे आगामी सुनवाई दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

अनावेदक को सूचित करते हुए उक्त प्रकरण में अन्तिम तर्क हेतु सुनवाई दिनांक 28.09.2021 नियत की जाती है ।

सुनवाई दिनांक 28.09.2021, 11.10.2021, 23.11.2021 की सुनवाई में उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तत्पश्चात् अग्रिम सुनवाई दिनांक 21.12.2021 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 21.12.2021 आवेदक की ओर से स्वेच्छा से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक कम्पनी को बार–बार सूचित किए जाने के बाद भी उनकी ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । अनावेदक कम्पनी की अनुपस्थिति के कारण बेवजह प्रकरण में विलंब हो रहा है ।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक से दिनांक 09.03.2016 से दिनांक 13.04.2018 तक बी फेज सी.टी. ओपन होने के कारण यूनिट दर्ज न होने के आधार पर पूरक बिल तैयार कर प्रेषित किया गया है जिसे आवेदक अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई है । ऐसी दशा में प्रकरण के निराकरण हेतु अनावेदक से निम्न जानकारी मंगाई जाना आवश्यक है :–

01. अनावेदक दिनांक 09.03.2016 से पूर्व 6 माह में उक्त मीटर पर मासिक खपत क्या रही, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें ।
02. अनावेदक अपीलार्थी के अनुसार जिस कालावधि में बी फेज ओपन होकर बी फेज पर रीडिंग दर्ज नहीं हो रही थी उस अवधि में मासिक खपत क्या रही यह जानकारी प्रस्तुत करें ।
03. आवेदक अपीलार्थी के परिसर में नया मीटर लगाने के उपरान्त 6 माह की मासिक खपत के संबंध में प्रमाण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं ।

अगली सुनवाई दिनांक 28 जनवरी 2022 को नियत की जाती है । उभयपक्ष को सूचित किया गया।

अगली सुनवाई दिनांक 28 जनवरी 2022 को आवेदक स्वेच्छा से अनुपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार धाकड़, जूनियर इंजीनियर द्वारा जवाब क्रमांक 464 दिनांक 27.01.2022 प्रस्तुत किया, जिसे नस्ती में संलग्न किया । उक्त प्रकरण में उभयपक्ष को सूचित करते हुए अगली सुनवाई दिनांक 14.03.2022 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 14 मार्च, 2022 को आवेदक की ओर से श्री नीलेश चौहान, पुत्र श्री गोवर्धन चौहान उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार धाकड़, कनिष्ठ यंत्री, उपस्थित ।

सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह अनुरोध किया कि विद्वान फोरम ने मेरी शिकायत पूरी तरह सुनकर समाधान नहीं किया है एवं की गई बिलिंग को सही बताया गया है । मेरे द्वारा अतिरिक्त बिल की राशि में से रू0 48000/– दिनांक 27.02.2021 को जमा कर ली गई है उसके उपरान्त भी शेष राशि मेरे बिल में जोड़कर उस पर प्रत्येक माह अधिभार लगाया जा रहा है, जिसे हटाया जाएं ।

अनावेदक ने यह बताया कि आवेदक को अंतर की राशि एवं कम दर्ज की गई खपत के संबंध में पूरा विवरण दिया गया है । बिल के अंतर की राशि मीटर में आंतरिक कनेक्शन में सी.टी. का कनेक्शन खुल जाने के कारण (एक फेज की सी.टी. ओपन) कम खपत दर्ज की गई उसी का बिल सामान्य दर पर जारी किया गया है एवं बिल की गई राशि भुगतान योग्य है । उसमें किसी प्रकार का कोई दण्डात्मक राशि नहीं जोड़ी गई है । चूंकि प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से आगे कुछ ओर कथन नहीं किए जाने तथा अन्य कोई साक्ष्य/जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु शेष नहीं है एवं उभयपक्षों को पूर्ण रूप से सुन लिया गया है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर आदेश हेतु सुरक्षित किया जाता है ।

14. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(i) एच.टी.एम. संभाग द्वारा मीटर रीडिंग की विवेचना में गड़बड़ी परिलक्षित होने पर दिनांक 13 अप्रैल 2018 को सहायक यंत्री (एच.टी.एम.) द्वारा श्री रमेश चौहान के परिसर में स्थापित मीटर की जांच करवाई गई थी एवं रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें यह उल्लेख है कि टर्मिनल ओवर हीट होने के कारण बी फेज सी.टी. ओपन पाई गई, जिससे बी फेज के आउटपुट पर 17.8 एम्पीयर करन्ट दर्शा रहा था, परन्तु मीटर में बी फेज पर करन्ट शुन्य दर्शा रहा है । इससे साफ है कि मीटर पर बी फेज पर उपयोग की गई विद्युत खपत मीटर में दर्ज नहीं हो रही है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक (i) की रिपोर्ट पर उपभोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं ।

(iii) एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यपालन यंत्री द्वारा एम.आर.आई. के माध्यम से पुराना डेटा की जांच की गई जिसमें दिनांक 09.03.2016 से 13.04.2018 तक बी फेज की सी.टी. ओपन होना पाया गया एवं तकनीकी प्रक्रियां के तहत बी फेज द्वारा दर्ज नहीं की गई यूनिट की गणना की गई जो 17436 यूनिट (09.03.2016 से 13.04.2018 की अवधि में

लिए) आई उन यूनिट पर सामान्य दर से अंतर राशि का बिल रू. 88559/– जारी किया गया ।

(iv) यह स्पष्ट है कि केवल मीटर को प्रत्यक्ष देखने से आंतरिक खराबी के बारे में ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः उपभोक्ता के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त गड़बड़ी पकड़ी नहीं जा सकी ।

(v) उक्त प्रकार की गड़बड़ी आर.एम.आर./एम.आर.आई. रिपोर्ट की विवेचना से ही ज्ञात की जा सकती है । उक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा लम्बे समय तक उसकी विवेचना नहीं की गई जिसके कारण यह शिकायत उत्पन्न हुई है ।

(vi) बिल की गई राशि में कोई दण्डात्मक राशि के साथ ही साथ अधिभार भी नहीं है एवं केवल अन्तर की राशि है ।

(vii) प्रकरण में आवेदक की शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं लोकपाल के समक्ष लंबित होने पर भी राशि बिल में जोड़कर प्रत्येक माह अधिभार लगाया जा रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है ।

15. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

1) अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

2) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जैन क्षैत्र द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए परिवादी को शेष राशि अनावेदक के कार्यालय में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

3) चूंकि अनावेदक द्वारा नियमानुसार निकाली गई अंतर राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, अतः शेष राशि पर अधिभार लगाना उचित नहीं है, जिसे हटाकर अन्तर राशि का बिल अनावेदक द्वारा उपभोक्ता को दिया जावे, जिसका वह भुगतान करेगा ।

4) अनावेदक को यह सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के सी.टी. ऑपरेटेड मीटर एवं उनकी एम.आर.आई. रिपोर्ट/आर.एम.आर. से प्राप्त रिडिंग की नियमानुसार निर्धारित अन्तराल में जांच करें, जिससे इस प्रकार की शिकायतें उत्पन्न न हो ।

16. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

17. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल